संख्या–581 / अठ्ठासी–2010–34खा / 10

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उप्र0 शासन ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2010

विषय: खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 50(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया जाना।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में नकली/अधोमानक/मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थो के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा इस संबंध में क्रमशः औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा तत्संबंधी नियमावली, 1945 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1955 के प्रभावी कियान्वयन हेतु पृथक से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन दिनांक 30.07.2009 को किया गया है। इसके पूर्व उक्त दायित्वों का कियान्वयन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा नगर विकास विभाग के अधीन किया जाता था। इस नवसृजित विभाग हेतु गठित प्रशासकीय ढ़ॉचे में मण्डल स्तर के कार्मिकों को मण्डलायुक्त के अधीन तथा जनपद स्तर के कार्मिकों को जिलाधिकारी के सीधे प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है तथा इस प्रशासकीय ढॉचे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कार्यरत मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी की प्रत्यक्षतः कोई भूमिका प्रकल्पित नही है।

2– नवगठित खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–83/88–10–129खा/08टी0सी0, दिनांक 19.01.2010 द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की संगत धाराओं के अन्तर्गत जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुऐ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजन के लिए नगर मजिस्ट्रेट या यदि जिला में नगर मजिस्ट्रेट तैनात न हो तो जिला मुख्यालय में तैनात उप कलेक्टरों में से, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट उप कलक्टर को जिला हेतु स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी नियुक्त किया गया। ज्ञातव्य है कि पूर्व में

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के प्रयोजनार्थ मुख्य चिकित्साधिकारी स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी थे।

3– खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 प्रवृत्त की गयी है। इस नियमावली के नियम–4 के उप नियम–1(ए) से 1(डी) तक के प्राविधानानुसार खाद्य पदार्थो या कोई विर्निदिष्ट खाद्य पदार्थ या उसके किसी वर्ग के खाद्य पदार्थ बनाने/विक्रय/संग्रह/वितरण एवं प्रदर्शित किये जाने हेतु लाइसेंसिग प्राधिकारी निम्नानुसार नियुक्त है:–

4–(1)

(ए)उत्तर प्रदेश में समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर महा पालिका या नगर पालिका क्षेत्र
(बी)उत्तर प्रदेश के समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर ग्राम्य या नगर क्षेत्र
(सी)उत्तर प्रदेश में छावनी बोर्ड के ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर छावनी क्षेत्र
(डी)उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न भारतीय रेलो के प्रभागीय चिकित्साधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर रेलवे कालोनी सहित रेलवे भू–गृहादि

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के गठन के पश्चात् विभाग में चिकित्सा विभाग एवं नगर विकास विभाग के मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी/अपर नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कोई भूमिका प्रत्यक्षतः नही रह गयी है, अतः इनको पूर्व में दिये गये अनुज्ञापन प्राधिकारी के दायित्वों को बनाये रखना प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक नही रह गया है।

4– उपरोक्त समग्र पृष्ठभूमि में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम–50(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खाद्य पदार्थो या कोई विर्निदिष्ट खाद्य पदार्थ या उसके किसी वर्ग के खाद्य पदार्थ बनाने/विक्रय/संग्रह/वितरण एवं प्रदर्शित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976

के नियम–4 के उप नियम–1(ए) एवं 1(बी) में निम्नानुसार संशोधन करते हुये निम्नलिखित को राज्य सरकार द्वारा उनके सम्मुख अंकित अधिकारिता क्षेत्र हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

4–(1)

(ए) उत्तर प्रदेश में समस्त स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी	उनकी अधिकारिता के भीतर नगरीय क्षेत्र
(बी) उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक	उनकी अधिकारिता के भीतर ग्रामीण क्षेत्र

5– उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 के नियम–4 के उप नियम–1(सी) तथा 1(डी) में उल्लिखित प्राविधान यथावत रहेगे।

6– उपरोक्त प्रस्तर–4 में नियुक्त किये गये अनुज्ञापन प्राधिकारी के संबंध में उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्या– 581(1)/अठ्ठासी–2010–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0 प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, उ0 प्र0।
5. समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक, उ0 प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।